एफ.सं. ए-12018/06/2017-ईपीआई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: अगस्त, 2018

बीसीजीवीएल, चेन्नई में लेवल-8 में सहायक पशु शल्यचिकित्सक के पद हेतु प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना।

डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 13.10.2015 की अनुपालना में हितधारकों की टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु सहायक पशुचिकित्सा शल्यचिकित्सक, समूह 'ख', राजपत्रित के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर संशोधन संलग्न है। उक्त प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/सुझाव इनके प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित में उप-निदेशक प्रशासन (ईपीआई), कमरा सं. 647-ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110018 को किया जा सकता है तथा सॉफ्ट कॉपी epidghs@gmail.com पर भेजी जाए।

(स्वरूपा सरन)
उप-निदेशक

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: 2018

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में सहायक पशुचिकित्सा शल्यचिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है ।

   (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में उसका लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श और कारणों को लेखबद्ध कर आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पशुचिकित्सा शल्यचिकित्सक	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परीवर्तनीय	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल-8 (रु. 47600-151100)	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट ।) नोट: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित तारीख़ होगी । टिप्पण: आयु निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक की डिग्री तथा भारतीय पशुचिकित्सा काउंसिल/ राज्य पशुचिकित्सा काउंसिल में पंजीकृत (ii) फार्मा/जैवफार्मा उद्योग या मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रयोगशाला पशुओं के प्रजनन एवं परीक्षण में दो वर्षों का अनुभव

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी 1: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर रहने अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् लेवल-6 की उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या लेवल-7 में दो वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं	**संपुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:** (i) उप महानिदेशक (पीएच) : अध्यक्ष (ii) निदेशक (इपीआई) : सदस्य (iii) अवर सचिव (वीआई), : सदस्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (iv) उपनिदेशक (प्रशासन) : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक

(सं. ए-12018/06/2017-इपीआई)

(बी.एल. मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार